न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 126/2020(2020/00375)

1. सजनी पत्नि स्व. किशनलाल जाति जाट निवासी उगानखेडा तहसील केकडी जिला अजमेर राजस्थान

––प्रार्थीया

बनाम

1. बद्री पुत्र कल्याण
2. रामलाल पुत्र कल्याण
3. प्रदीप पुत्र रामलाल

   समस्त जाति रेगर निवासीगण सरसड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
4. तहसीलदार केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

––अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री मदनगोपाल चौधरी, श्री मीठू सिंह –प्रार्थी अधिवक्ता
2. पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक 23.01.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सरसड़ी तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया पुराना		खसरा संख्या	रकबा	किस्म
332	323	1048 1048/1213 1049 1051	0.79 0.02 0.81 0.56	बारानी–3 बारानी–3 बारानी–3 बारानी–3
		किता 4	रकबा 2.18 हैक्टर	
390	374	1230/989	0.05	गै.मु.चाह
		किता 1	रकबा 0.05 हैक्ट	

उपरोक्त वादवर्णित आराजीयात प्रार्थीया की खातेदारी कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य उपयोग उपभोग की आराजीयात है जिसमें प्रार्थीया ने गेंहू की फसल काश्त कर रखी है एवं सिंचाई प्रार्थीया की खातेदारी के चाह नम्बर 1230/989 से आबपाश होती चली आ रही है। फसल की सुरक्षा हेतु प्रार्थीया ने आराजी के पूर्वी ओर सरकारी तालाब (नाडी) खसरा नम्बर 1052 रकबा 1.03 की पाल खसरा नम्बर 1053 रकबा 0.63 गैर मु.पाल के लगवा प्रार्थीया की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1051 की मेड पर तारबन्दी लकडी के खूंटों के सहारे कर रखी है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की नियत बद्ध है एवं वादवर्णित प्रार्थीया की आराजी पर जबरन कब्जा करने की नियत से प्रार्थीया की आराजी पर लगी जालियों एवं खूंटों को तोड–फोड कर नष्ट–भ्रष्ट करने लग गये एवं मना करने पर धमकियां दी कि सरकारी पाल खसरा नम्बर 1053 व नाडी खसरा नम्बर 1052 पर तो हमने कब्जा करके फसल काश्त कर ली है। सरकारी नाडी खसरा नम्बर 1052 व उसकी पाल खसरा नम्बर 1053 की आड में प्रार्थीया की वाद वर्णित आराजीयात पर जबरन कब्जा करके हडपने पर आमादा है जिसके कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को प्रार्थीया की वादवर्णित आराजीयात के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग व स्वामित्व आधिपत्य में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न नही करने, जबरन बेदखल नही करने एवं तारबन्दी व खूंटों तथा फसल को नष्ट भ्रष्ट नही करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नही किये जाने से अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया गया। वाद वर्णित आराजीयात खातेदारी भूमि होने एवं राजहित प्रभावित नही होने का जवाब सरकार पत्रावली में अंकित किया गया।

पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रार्थीया के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का सन्तुलन भी पाया गया, प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम सरसड़ी के खाता संख्या 332–323 खसरा नम्बर 1048, 1048/1213, 1049, 1051, खाता संख्या 390–374 के खसरा नम्बर 1230/989 में प्रार्थीया के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करें एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner